न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/101

मोतीलाल आत्मज किशनलाल जाति कहार निवासी स्वास्तिक नमकीन के पास, शिव सागर, कैथून रोड, तेखड़ा, कोटा(राज0) जरिये मुख्तार आम राजकुमार केवट आत्मज श्री मोतीलाल जाति कहार निवासी शिव सागर कैथून रोड, तेखड़ा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तह0 लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।
2. पप्पू कहार आत्मज किशन कहार जाति कहार निवासी स्वास्तिक नमकीन के पास, शिव सागर, कैथून रोड, तेखड़ा, कोटा(राज0)

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–(1). ललित नागर– अधिवक्ता अपीलांट
(2). अशोक गुप्ता– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय **दिनांक 10.07.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 6/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 07.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 ने मूलवाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ग्राम तहसील लाडपुरा जिला कोटा का स्थायी निवासी है। वादी भूमिहीन व्यक्ति है जो खेतीबाडी का कार्य कर अपने व अपने परिवार की जीवन यापन करता है। ग्राम कन्सुवा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में गत खसरा नम्बर 25 की 190 बीघा भूमि स्थित रही है। उक्त भूमि में से तालाब पेटे की 5 बीघा भूमि को प्रार्थी ने काफी मेहनत, पैसा, परिश्रम व ऊर्जा खर्च कर काश्त योग्य बनाया

और उक्त भूमि पर काश्त कर अपने व अपने परिवार का जीवन यापन करने लगा। प्रार्थी द्वारा दिनांक–4–10–1979 को उप जिलाधीश कोटा के समक्ष ग्राम कन्सुवा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नम्बर– 25 की उक्त 5 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर उप जिलाधीश महोदय कोटा की आवंटन कमेटी द्वारा अपने आवंटन आदेश दिनाक 17–5–1985 से खसरा नम्बर– 25 की उक्त 5 बीघा भूमि का आवंटन प्रार्थी के पक्ष में किया गया. तब से प्रार्थी उक्त भूमि पर बहैसियत कृषक काबिज काश्त चला आ रहा है। खसरा नम्बर– 25 की उक्त 5 बीघा भूमि दिनांक– 17–5–1985 को श्रीमान उप जिलाधीश कोटा द्वारा प्रार्थी को आवंटन की गयी है और प्रतिपक्षी क्रम 1 के अधिकारियो व अधिकारियो द्वारा उक्त आवंटन की गयी भूमि का दखलनामा भी प्रार्थी के पक्ष मौके पर जारी किया गया है। प्रार्थी उक्त भूमि पर कानूनन बहैसियत कृषक काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आवंटन के पश्चात राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों पर प्रार्थी को आवंटन की गयी खसरा नम्बर – 25 की उक्त 5 बीघा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की गैरखातेदारी में दर्ज करने का विधिक दायित्व रहा है, किन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा श्रीमान उप जिलाधीश महोदय द्वारा आवंटन किये जाने के पश्चात भी उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की गैरखातेदारी में दर्ज नही किया गया, जिसके कारण उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की गैरखातेदारी दर्ज नहीं होकर राजकीय भूमि के रूप में सिंचाई विभाग के खाते में ही दर्ज चली आ रही हैं । उप जिलाधीश महोदय कोटा की आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक– 17–05–1985 को उक्त खसरा नम्बर –25 की रकबा 190 बीघा भूमि में से प्रार्थी के साथ–साथ अन्य व्यक्तियों को भी आवंटित की गयी उप जिला महोदय द्वारा आवंटन गयी भूमि अधिकारियों कर्मचारियो का उक्त प्रार्थी अधिकारों के विरुद्ध प्रारम्भ ही गलत गैरकानूनी त्रुटि है। सेटलमेन्ट सम्वत–2038–57 पश्चात गत खसरा नम्बर–25 के नवीन खसरा नम्बर की रकबा है० कायम किये किन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियों अधिकारियों 5 की दर्ज नहीं किया गया, जिसके कारण सेटलमेन्ट पश्चात प्रार्थी की आवंटन शुदा विधिवत हक प्रार्थी अपनी आवंटन शुदा भूमि निरन्तर बहैसियत खातेदार कृषक काबिज काश्त चला रहा किन्तु राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों गलत, गैरकानूनी व त्रुटिपूर्ण कृत्य के कारण खाते की उक्त शुदा भूमि वादी के दर्ज गयी, जिसके कारण उक्त भूमि राजकीय भूमि ही रहने के तहसीलदार लाडपुरा सम्बंध समय–समय धारा–91 भू–राजस्व अधिनियम तहत नोटिसी जारी किये है और उक्त भूमि के सम्बंध जुर्माना जमा करवाता रहा जिससे भी प्रमाणित है उक्त आवंटन शुदा पर प्रार्थी निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है ऊपर वर्णित अनुसार भी प्रमाणित है कि भूमि प्रार्थी की आवंटन एवम उसकी खातेदारी हक अधिकार की भूमि है।उक्त खसरा नम्बर–25 हाल खसरा नम्बर– 82 की 5 बीघा–यानि 0.80 है० भूमि प्रार्थी

की आवंटन शुदा उसके हक अधिकार व कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर प्रार्थी निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। कानूनन आवंटन नियमों के अनुसार किसी भी आवंटी को आवंटित भूमि पर तीन वर्ष के पश्चात स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रदत्त होने के विधिक प्रावधान है। प्रार्थी को उक्त भूमि आवंटित हुऐ लगभग 36 वर्ष हो चुके है। प्रार्थी उक्त आवंटित भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त होकर अपने व अपने परिवार का जीवन यापन करता चला आ रहा है, जिसके कारण आवंटन नियमो के अनुसार प्रार्थी को उक्त भूमि पर कानूनन स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है और प्रार्थी कानूनन उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार कृषक काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा कई दफा प्रतिपक्षी क्रम–1 के अधिकारियों व कर्मचारियो से प्रार्थी को आवंटित की गयी 5 बीघा भूमि को प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया, किन्तु प्रतिपक्षी क्रम–1 के अधिकारियों व कर्मचारियो द्वारा हर बार मात्र आश्वासन दिया जाता रहा है किन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियो द्वारा जानबूझकर गलत व गैरकानूनी रूप से उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं की गयी। राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियों का उक्त कृत्य प्रार्थी के अधिकारों के विरूद्ध पूर्णतया गलत, गैरकानूनी व त्रुटिपूर्ण है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की स्वअर्जित आवंटन शुदा भूमि है, जिससे प्रतिपक्षी नम्बर–2 का कोई भी सम्बंध नहीं है। प्रतिपक्षी नम्बर–2 झगडालू किस्म का व्यक्ति है, जो ऐनकेन प्रकारेण भूमाफियों के साथ मिलीभगत कर प्रार्थी की उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने एवम उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर उक्त भूमि को भूखण्डो में विभक्त करने तथा भूमि को बेचान व खुर्द–बुर्द करने एवम जबरदस्ती निर्माण आदि करने पर आमदा हो रहा है। प्रतिपक्षी नम्बर – 2 द्वारा दिनांक–11–10–2020 को जबरदस्ती व ताकत के बल पर प्रार्थी की उक्त भूमि पर कब्जा करने के दुराशय से खम्भे गाड दिये गये थे, जिस पर प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षी क्रम–2 व उसके साथियों के विरूद्ध पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा में शिकायत भी दर्ज करवाई थी और पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा द्वारा प्रतिपक्षी नम्बर–2 को प्रार्थी की उक्त भूमि पर कब्जा करने व प्रार्थी की उक्त भूमि को बेचान आदि न करने हेतु पाबन्द भी किया था, किन्तु फिर भी प्रतिपक्षी नम्बर–2 अपने अवैध कृत्य से बाज नहीं आया और प्रतिपक्षी क्रम–2 ने अभी हाल ही अपने पुत्र व भूमाफियों के साथ मिलीभगत कर दिनांक–29–1–2021 को जबरदस्ती प्रार्थी के हक अधिकार व कब्जे काश्त की उक्त वादग्रस्त भूमि पर जे.सी.बी. चलाकर नीचे खोद दी और खम्भे गाड दिये तथा निर्माण करने के दुर्भाविक आशय से पत्थर व निर्माण सामग्री डाल दी और साथ ही प्रार्थी को धमकी दी कि हम उक्त भूमि के फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उक्त भूमि को बेचान व खुर्द–बुर्द कर देगें, हमारा कुछ भी नही बिगाड़ सकता, तू कब्जा छोड़ दे, यदि तूने हमारे बीच में आने की कोशिश की तो हम तुझे जान से मार देगे। इस

प्रकार प्रतिपक्षी नम्बर–2 ऐनकेन प्रकारेण भूमाफियां से मिलीभगत कर प्रार्थी की उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने तथा उक्त भूमि को भूखण्डो में विभक्त करने, निर्माण आदि करने एवम वैचान करने पर आमदा हो रहा है, जिसका प्रतिपक्षी नम्बर–2 को कोई भी अधिकार प्राप्त नही है, यदि प्रतिपक्षी अपने उक्त कृत्यों में सफल हो गया तो प्रार्थी का माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पेश करना ही निरर्थक हो जावेगा और प्रार्थी को अनेकानेक वाद विवादो में उलझ जाना पडेगा ।प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में ही निहित है और यदि प्रतिपक्षी क्रम–2 द्वारा ऐनकेन प्रकारेण भूमाफियां से मिलीभगत कर प्रार्थी की उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर बेदखल कर उक्त आराजी को रहन, बैय, हिबा, विक्रय व खुर्द–बुर्द कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। अतः ताफैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षी क्रम–2 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे कि प्रतिपक्षी क्रम– 2 वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर–25 हाल खसरा नम्बर – 82 रकबा 5 बीघा यानि 0.80 है० भूमि पर प्रार्थी के शांतीपूर्वक कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नही करे, प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे, उक्त भूमि को भूखण्डो में विभक्त नहीं करे, निर्माण आदि नही करे, एवम उक्त भूमि व उसके किसी भाग को बैचान व खुर्द–बुर्द करने का प्रयास नहीं करे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 07.04.2022 को उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.04.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रार्थी ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे अंदर मियाद पेश की है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमों में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील न्याय एवं सिंधिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह फाईण्डिग दी है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 82 हाल खसरा नम्बर 25 की रकबा 5 बीघा सिंचाई विभाग के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को खारिज किया है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय में इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उक्त भूमि अपीलाट को दिनांक 04.10 1979 को उप जिलाधीश, कोटा द्वारा आवंटित की गई है और दखल अपीलांट ने भूमि पर दिया गया है, तब से ही अपीलाट बहैसियत मालिक खातेदार आवंटी के रूप में काबिज काश्तकार चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 जो अपीलांट का भाई है. जबरदस्ती ताकत के बल पर अपने पुत्रों के साथ मिलकर कैलाश कहार नाम के भूमाफिया के साथ मिलकर कृषि भूमि पर जबरन आवासीय कॉलोनी विकसित कर भूखण्ड बेचान करने के उद्देश्य रोड़ व नाली इत्यादि निर्मित करने के लिये प्रयासरत् है। जबकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 को कोई अधिकार नहीं है कि वह अपीलांट की भूमि पर इस प्रकार का अवैध व अनाधिकृत कृत्य करें । अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिये थी जिससे कि ताफैसला वाद वादग्रस्त भूमि सुरक्षित होती और अपीलाट शांतिपूर्वक काश्त करता, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्य व विधि के विरूद्ध जाकर आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाट ने वादग्रस्त भूमि के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये थे, जिनसे प्रमाणित था कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 जबरन ट्रेक्टर–ट्रॉलियों से रोड़ बनाने का प्रयास कर रहा है। इस सम्बंध में जब–जब भी अपीलांट की भूमि पर मलवा डालकर रोड़ बनाने का प्रयास किया गया तो अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 पप्पू कहार व उसके साथियों के विरूद्ध पुलिस थाना उद्योग नगर में दिनांक 16.02.2022 एवं उसके पूर्व दिनांक 12.02. 2022 को एवं तत्पश्चात् दिनांक 18.02.2022 को पुलिस अधीक्षक कोटा शहर, कोटा एवं थानाधिकारी उद्योग नगर को प्रस्तुत की है। इससे पूर्व भी दिनांक 17.11.2021 को प्रस्तुत की गई है, जिस पर कई बार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा पाबंद भी किया गया है। चूंकि बार–बार भूमि पर जबरन कब्जा करने के अवैध उददेश्य के तहत अपीलांट के साथ रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व उसके साथियों द्वारा मारपीट की जाती रही है और इस सम्बंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट जो पुलिस थाना उद्योग नगर में पेश की गई है, जिन पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व उसके साथियों को पाबंद किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 स्वयं अपने पुत्रों के साथ मिलकर

वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन रोड़ बनाते हुये भूखण्ड बेधान करने पर प्रयासरत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वादग्रस्त भूमि पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश ताफैसला वाद पारित करने चाहिये थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने सिंचाई विभाग के खाते दर्ज होने का बहाना बनाकर अपीलांट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है, जो कानून के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित नहीं किये गये तो किसी भी पक्ष का जीवन समाप्त होना सम्भव है। चूंकि दिनांक 28.02. 2022 को वादी / अपीलांट की भूमि पर रेस्पोडेन्ट 2 व उसके साथियों ने जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तथा भूमि पर ट्रेक्टर–ट्रॉली से मलवा डालने की कोशिश की गई. ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादी द्वारा रोकने पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलाट के साथ व उसके पुत्र के साथ मारपीट की गई, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना उद्योग नगर में एफआईआर संख्या 81 व 82/2021 के रूप में दर्ज हुई है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 पप्पू कहार अपने दोनों पुत्रों व भूमाफिया लोगों के साथ मिलकर भूमि की प्रकृति को परिवर्तित कर देना चाहता है। चूंकि उन्हें न तो भूमि आवंटित हुई है और ना ही उन्हें भूमि उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई है और ना ही उनके द्वारा भूमि खरीद की गई है। रेस्पोडेन्ट की स्थिति अतिचारी की है जो कि भूमाफिया लोगों का गिरोह बनाकर जबरदस्ती कब्जा करते हुये अपीलांट की भूमि पर भूखण्डों के रूप में फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचान करने पर आमादा हो रहे है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि पर जारी होना आवश्यक है, जिससे कि दौराने वाद भूमि को सुरक्षित रखा जा सके। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सम्पूर्ण परिस्थितियों के विरूद्ध जाकर अपीलांट का आवेदन खारिज करने में गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने सिचाई विभाग के खाते वादग्रस्त भूमि दर्ज होने का बहाना बनाया है जबकि अपीलांट को सिंचाई विभाग के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं चाहिये थी और ना ही उसने बाद व प्रार्थना–पत्र में सिंचाई विभाग के विरूद्ध सहायता चाही है और ना ही अपीलांट ने सिंचाई विभाग के विरूद्ध स्थगन चाहा है। क्योंकि सम्पूर्ण अवैध कृत्य रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 द्वारा किया जा रहा है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने सिंचाई विभाग के बहाने से रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 को अपीलांट की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध व अनाधिकृत कृत्य कारित करने का लाईसेन्स दे दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खुल्लमखुल्ला कानून के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पक्षकारान के मध्य यदि विवादित सम्पत्ति के कब्जे को लेकर विवाद है और आपराधिक मामले लम्बित चले आ रहे है तो ऐसी स्थिति में यथास्थिति का आ पारित करना चाहिये, जिससे कि विवाद को शांत किया जा सके और सम्पत्ति को सुरक्षित रखा जा सके। अपीलांट का प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

स्वीकार फरमाया जाकर मौके व रिकॉर्ड यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किये। जाने चाहिये थे, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र को खारिज कर भविष्य में अनेकानेक विवाद उत्पन्न कर दिये है, जिससे कि पक्षकारान के मध्य अनायास भविष्य में विवाद उत्पन्न नहीं होगें और बेवजह मुकदमेबाजी होगी और अपीलांट को आवंटित भूमि दावे के निर्णय तक जिस भी स्थिति में स्थित है. सुरक्षित रहती और अतिचारी व्यक्तियों को बढ़ावा नहीं मिलता। इन सम्पूर्ण तत्परिस्थितियों को देखते हुये और बनाये रखने के उद्देश्य से वाद वर्णित भूमि के सम्बंध में ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.04.2022 जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे तथा वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 25 की रकबा 0.80 हैक्टर वाके ग्राम कन्सुआ. तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा भूमि पर ताफैसला वाद रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जावे साथ ही रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के विरूद्ध इस आशय का भी आदेश पारित किया जावे कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2, अपीलांट की वाद वर्णित भूमि के शांति पूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें और ना ही ऐसा कृत्य अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करवाते हुये भूमि पर ताकत के बल पर कब्जा करते हुये भूमि की प्रकृति को परिवर्तित करने का प्रयास करें और ना ही अपीलांट की वाद वर्णित भूमि पर प्लानिंग इत्यादि विकसित करते हुये आगे बेचान आदि करते हुये किसी तृतीय व्यक्ति का हित सृजित करते हुये उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने का प्रयास करें ।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित भूमि वर्तमान में सिंचाई विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपीलांट ने प्रकरण में सिंचाई विभाग को पक्षकार कायम नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, अपीलांट का सगा भाई है । प्रार्थी अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि का गत खसरा नम्बर 5 रकबा 190 बीघा मे से 5 बीघा तालाब पेटे की भूमि का आवंटन प्रार्थी अपीलांट को किया। जबकि उक्त भूमि वर्तमान मे सिंचाई विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तालाब पेटे की भूमि का अस्थाई तौर पर आवंटन किया जाना संभावित है परन्तु विवादित भूमि सम्वत् 2038 से सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है, जिससे विवादित भूमि के संबंध मे प्रार्थी अपीलांट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हे। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.04.2022 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभयपक्षकारन के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। फोटोप्रति उप जिलाधीश कोटा के अस्थाई आवंटन आदेश दिनांक 24.11.1979 कैम्प लाडपुरा की है, जिसके साथ प्रस्तुत मिसल की फोटोप्रति के अनुसार आवंटी मोतीलाल वल्द किशनलाल कहार साकिन कन्सुआ को ग्राम तेखड़ा मे पेटा तालाब की भूमि खसरा नम्बर 368 की रकबा 1 बीधा 5 बिस्वा भूमि का अस्थाई आंवटन रबी की फसल के लिये वर्ष 1979–80 के लिये होने के कारण दिनांक 15.05.1980 से बेदखल माना जायेगा, का नोट भी अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 ग्राम कन्सुआ तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 82 रकबा 20.51 हैक्टेयर किस्म गै.मु.तालाब दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटोप्रति आवेदन बाबत काश्त करने के लिए जमीन दी जाने अन्तर्गत धारा 101 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का है, जिसमे आवेदक मोतीलाल आत्मज किशनलाल द्वारा सुरसागर तालाब पेटा खसरा नम्बर 25 की 5 बीघा भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया है, इस पर आवेदक मोतीलाल की अंगूठा निसानी व दिनांक 04.10.1979 अंकित है तथा दिनांक 17.08.1985 को उपजिलाधीश कोटा की अध्यक्षता मे गठित कमेटी द्वारा अस्थाई भू–आवंटन की तैयार की गई सूचि की फोटोप्रति संलग्न है। परन्तु अस्थाई भू–आवंटन हेतु कमेटी द्वारा तैयार की गई उक्त सूचि को ही भू आवंटन आदेश मान लिया जाना उचित नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अथवा प्रस्तुत अपील मे हमें ऐसा कोई भू–आवंटन आदेश उपलब्ध होना नहीं पाया गया जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम कन्सुआ की खसरा नम्बर 25 की 5 बीघा भूमि का अपीलांट को स्थाई अथवा अस्थाई आवंटन किये जाने तथा कथित भूमि पर दखल दिये जाने की पुष्टि होती हो। फोटोप्रति आवंटन आदेश दिनांक 17.08.1985 उपजिलाधीश कोटा की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटोप्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2030 से 2033 ग्राम कन्सुआ के अनुसार अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 25 रकबा 190 बीघा गैर मुमकिन तालाब महकमा सिंचाई विभाग(एरीगेशन) दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटोप्रति जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् अस्पष्ट है तथा खाता संख्या 72 मे दर्ज अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 82 रकबा 29.01 हैक्टेयर भूमि किस्म गै.मु.तालाब सिंचाई विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटोप्रति मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038 से 2057 गत खसरा नम्बर 25 मि. के वर्तमान खसरा नम्बर 82 रकबा 29.01 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। साथ ही नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं सिंचाई विभाग की जमा रसीद व धारा 91 के अन्तर्गत जुर्माना की जमा रसीदों की फोटोप्रतियां संलग्न है।

विवादित भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 20.51 हैक्टेयर वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 में किस्म गैर मुमकिन तालाब सिंचाई विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है । उक्त वादग्रस्त भूमि भू–प्रबंध पूर्व से आज दिनांक तक अपीलांट की खातेदारी मे कभी नहीं रहीं। गैर मुमकिन तालाब की भूमि आवंटन योग्य भी नहीं है। अपीलांट कभी भूमि का खातेदार नहीं रहा अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलांट के पक्ष मे नहीं है। जब अपीलांट खातेदार ही नही है तो सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अपीलांट के पक्ष मे नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है। परन्तु प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के खातेदार सिंचाई विभाग को संभवतः जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रश्नगत भूमि खुर्द–बुर्द नहीं हो, तथा मूलवाद में प्रभावी पैरवी हो इसके लिए सिंचाई विभाग को सूचित कर संज्ञान मे लाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार, लाडपुरा, सिंचाई विभाग को हस्तगत प्रकरण में सूचित करे।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के प्रकरण संख्या 06/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 07.04.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लाडपुरा को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा